सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 07, गुरूवार, *शाके* 1945-सितम्बर 29, 2023 *Asvina 07, Friday , Saka 1945- September 29, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 19, 2023

संख्या प. 2(7)वन/2023 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वामित्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अश की स्वामित्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा व्यक्तियों के अधिकारी की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पुर्वावत वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन घर सरकारी तथा व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6.7.8.10, 11, (1) 12,13,14,17.18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखों के सम्पादित होने तक उक्त

वनभूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित बन घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आवेगी। और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के ये वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है। राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्नः- प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्रम संख्या	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा			विवरण			
				दिशा	भूमि	खसरा नं.	नाम ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (बीघा में)	क्षेत्रफल (है0 में)
1	रक्षित वनखण्ड चिताई	खानपुर	झालावाड,	पूर्व:-	राजस्व भूमि	100/150 100/153 100/149 100/152 100/151	चिताई	100	258 बीघा 19 बिस्वा	41.9173
				पश्चिम:-	राजस्व भूमि	100/146 100/161 100/155 35/175 35/174				
				उत्तर:-	सीमा ग्राम चितावा	-				
				दक्षिण:-	राजस्व भूमि	100/142 75, 77, 97, 94, 93				
							योग:-		**258बीघा 19बिस्वा**	**41.9173**

हस्ताक्षर

राजेन्द्र कुमार मीणा,
क्षेत्रीय वन अधिकारी
खानपुर।

हस्ताक्षर

वी. चेतन कुमार IFS,
उप वन संरक्षक,
झालावाड़ (राज.)।

द्वितीय अनुसूची वनखण्ड बांसखेडा

पेड़ो की सूची

क्रम संख्या	**वानस्पतिक नाम**	**हिंदी नाम**
1	Acacia nilotica	देशी बबूल
2	Prosopis juliflora	विलायती बबूल
3	Ziziphus muaritiana	झाडी बेर
4	Balanities aegyptiaca	हिगोंट
5	Acacia leucophloea	रोंझ
6	Dalbergia sissoo	शीशम
7	Holoptelia integriolia	चुरेल

हस्ताक्षर

राजेन्द्र कुमार मीणा,
क्षेत्रीय वन अधिकारी
खानपुर।

हस्ताक्षर

वी. चेतन कुमार IFS,
उप वन संरक्षक,
झालावाड़ (राज.)।

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

प्रमाण-पत्र

जिला :- झालावाड

तहसील :- खानपुर

रेंज :- खानपुर

रक्षित वनखण्ड :- चिताई

ग्राम :- चिताई

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रकरण परवन मध्यम सिंचाई परियोजना के विरुद्ध प्राप्त गैर वन भूमि है जिसका वन विभाग के नाम अमल दरामद की जा चुकी है। भूमि की किस्म मु. जंगलात है।
2. वर्तमान राजस्व लेखों में महकमा जंगलात दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा 20 है० क्षेत्रफल में वृक्षारोपण कार्य करवा दिया गया है। बाकि क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में वर्तमान में अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है इस क्षेत्र का राजस्व जमाबन्दी में महकमा जंगलात कर दिया है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.2 है
4. सीमावृती क्षेत्र की स्थिति खातेदारी, मंदिर चारागाह व वन भूमि है। तथा सीमा का उल्लेख एंव खसरानं व रकबा विज्ञप्ति में दर्ज कर दिया गया है।
5. वनखण्ड का मानचित्र नक्शा संलग्न है। जिसमें खसरा नं० व रकबा दर्ज है। एवं जी.टी. शीट की छाया प्रति संलग्न है।
6. प्रस्तावित वनों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
7. राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद वन विभाग के नाम हो रहा है।
8. उपरोक्त वनखण्ड परवन मध्यम सिंचाई परियोजना में आयी वन भूमि के बदले आयी राजस्व भूमि जिसका अमलदरामद वन विभाग के नाम हो चुका है।
9. वनखण्ड के मध्य खसरा नं0 99 मंदिर एवं 98 गै.मु. चारागाह स्थिति है। जिस पर वन विभाग का कब्जा एंव अधिकार नहीं है।
10. आज दिनांक 12.01.2022 तक इस भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है। एवं न ही प्रकाशन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।

हस्ताक्षर

राजेन्द्र कुमार मीणा,
क्षेत्रीय वन अधिकारी
खानपुर।

हस्ताक्षर

वी. चेतन कुमार IFS,
उप वन संरक्षक,
झालावाड़ (राज.)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।